प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा **दिनाँक 12.02.2025**

थाना खेकडा पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम ने थाना खेकडा के मु0अ0सं0 06/25 धारा 303(2) बीएनएस की टावर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ एक आर आर एच 5 जी , एक एयर बैण्ड फाईबर , एक फर्जी नम्बर प्लेट व घटना में प्रयुक्त ईको नं0 DL-5CT-7037 बरामद ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 07.01.2025 को थाना खेकड़ा पर वादी अनुराग तेवतिया पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी पीपी होल्डिंग्स मंगल पाण्डे नगर मेडिकल कॉलेज मेरठ ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा बसी रोड स्थित जियो कम्पनी के टावर से एक आरआरएच-4जी , एक आरआरएच-5जी , 02 सिपरी केवल , दो पावर केबल , 8 जम्पर को चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 06/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस व स्वाट बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाना खेकडा के मु0अ0सं0 06/25 धारा 303(2) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई एक आर आर एच 5 जी, एक एयर बैण्ड

फाईबर, एक फर्जी नम्बर प्लेट व एक घटना में प्रयुक्त गाड़ी ईको नं0 DL-5CT-7037 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-शहीद पुत्र मीर हसन निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
2-साबिर पुत्र जाफर निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
3-आसिफ पुत्र अब्दुल रशीद निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- एक आर आर एच 5 जी।
- एक एयर बैण्ड फाईबर।
- एक फर्जी नम्बर प्लेट।
- घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी ईको नं0 DL-5CT-7037

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-स्वाट टीम जनपद बागपत।
2-उ0नि0 यूटी सनुज कुमार थाना खेकडा मय टीम।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 12.02.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 05/25 धारा 305(ए) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 02 जोडी पाजेब (सफेद धातु) व 900 रुपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.01.2025 को थाना सिंघावली अहीर पर वादिया रूपा पुत्री ब्रह्मपाल निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त रिंकू उर्फ भेडिया पुत्र वीरू निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा उसके घर से 01 चैन, 02 अंगूठी, 01 ओंम (पीली धातु) , कानों के टोक्स व 02 जोडी पाजेव (सफेद धातु) तथा कुछ रुपये चोरी कर लिए हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 05/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 05/25 धारा 305(ए) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को

गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 02 जोडी पाजेब (सफेद धातु) व 900 रुपये नगद बरामद हुए हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रिंकू उर्फ भेडिया पुत्र वीरु निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 जोड़ी पाजेब (सफेद धातु) व 900 रूपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0श्री कपिल चौहान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-है0का0 546 विपिन सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।